



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/क.अ./एपीओ पदस्था./अनुश्री/17/1886

जयपुर, दिनांक :- 1.5.18

आदेश

श्रीमती अनुश्री शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, मसूदा (अजमेर) का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति, चाकसू (जयपुर) में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

श्रीमती शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल स्थानान्तरित/पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेगी ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलेक्टर, अजमेर / जयपुर ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर / जयपुर ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मसूदा (अजमेर)/ चाकसू (जयपुर) ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्रीमती अनुश्री शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, मसूदा (अजमेर) को पालनार्थ ।
9. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव